

पांडेसरा की जनसेवा अस्पताल को स्वास्थ्य विभाग ने सील और संचालकों को नोटिस दिया और नोटिस के बाद झोलाछाप डॉक्टर लापता

सचिन इलाके में अब भी कई ऐसे फोटो क्लिनिक जैसे केंद्र सक्रिय

जनसेवा अस्पताल के तीन झोलाछाप डॉक्टरों - बबलू शुक्ला, गंगाप्रसाद मिश्रा और राजाराम दुबे - को 28 तारीख को अस्पताल के पंजीकरण और डॉक्टरों के प्रमाणपत्रों के साथ हाजिर होने का अल्टीमेटम

क्रांति समय
www.krantisamay.com
www.guj.krantisamay.com
www.epaper.krantisamay.com
www.rti.krantisamay.com



दिया गया है। फायर विभाग द्वारा सीलिंग की कार्रवाई के बाद, जिला पंचायत के स्वास्थ्य विभाग ने मौके का निरीक्षण कर अस्पताल को सील कर दिया। इसके साथ ही, तीनों झोलाछाप डॉक्टरों या कथित संचालकों को नोटिस जारी कर 28 नवंबर, गुरुवार को जिला स्वास्थ्य अधिकारी

के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। 28 तारीख को संचालकों को अस्पताल का पंजीकरण प्रमाणपत्र, डॉक्टरों के प्रमाणपत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित रहने का अल्टीमेटम दिया गया है। पांडेसरा जैसी कुछ अन्य

अस्पतालों के संचालन पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या डॉक्टरों ने गुजरात में प्रैक्टिस करने के लिए गुजरात मेडिकल काउंसिल में पंजीकरण कराया है या नहीं। पांडेसरा की जनसेवा अस्पताल, जिसे पहले फायर विभाग ने सील किया था, अब जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा सील किए जाने के बाद

विवाद का केंद्र बन गई है। इस अस्पताल में कार्यरत डॉक्टरों में से कुछ राज्य के बाहर से हैं। गुजरात में प्रैक्टिस करने के लिए डॉक्टरों के लिए गुजरात मेडिकल काउंसिल में पंजीकरण कराना अनिवार्य है। जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस अस्पताल में कार्यरत डॉक्टरों की जांच की जाएगी कि क्या उन्होंने गुजरात में पंजीकरण कराया है। यदि उन्होंने पंजीकरण नहीं कराया है, तो नए कानून के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं कि बिना वैध पंजीकरण के प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों पर रोक लगाई जा सके।

सूरत, पांडेसरा की जनसेवा मल्टीस्पेशलिस्ट अस्पताल को फायर विभाग द्वारा सील करने के बाद, पहली बार जिला स्वास्थ्य विभाग ने क्लीनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए अस्पताल को सील किया। साथ ही, तीन संचालकों को 28 नवंबर को सभी प्रमाणों के साथ हाजिर होने का अल्टीमेटम दिया गया है। जनसेवा के नाम पर लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने वाले झोलाछाप डॉक्टरों पर कानून का शिकंजा कस

यह स्थिति सूरत के सचिन क्षेत्र की है, जहां किसी भी कार्रवाई का अभाव देखा गया है। इस क्षेत्र में नाबालिग बच्चियों का गर्भपात जैसी गंभीर घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, और यह सब स्थानीय नेताओं, कार्यकर्ताओं और राजनीतिक दबाव के चलते चल रहा है।



जानकारी के अनुसार, इन क्लीनिकों और अस्पतालों में मरीजों के मेडिकल रिपोर्ट्स भी फर्जी बनाए जाते हैं, और मरीजों का इलाज इसी आधार पर

किया जाता है। यदि कोई शिकायत दर्ज कराई जाती है, तो भी संबंधित विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती।

सूत्रों के मुताबिक, व्यापार मंडल के नाम पर राजनीतिक दलों के सचिन क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने हाल ही में छठ पूजा के नाम पर बड़े पैमाने पर

धन उगाही की। जिन व्यापारियों या क्लीनिक संचालकों ने यह राशि देने से इनकार किया, उनके साथ छोटी-मोटी झड़पें भी हुईं।

सूत्रों के मुताबिक इस क्षेत्र में हिंदुत्व के नाम पर गंभीर घटनाओं, जैसे गर्भपात को अंजाम दिया जाता है।

ऐसी स्थिति में, जब कानून का उल्लंघन करने वाले ही प्रभावशाली लोगों के साथ हों, तो कोई भी शिकायत दर्ज करने का साहस नहीं करता। इस वजह से इस क्षेत्र में कानून व्यवस्था और प्रशासनिक कार्रवाई पूरी तरह निष्क्रिय नजर आ रही है। शहर के डिंडोली, पांडेसरा, सचिन, सचिन जीआईडीसी, पाली, बमरौली जैसे श्रमिक बहुल इलाकों में झोलाछाप डॉक्टरों ने धड़ल्ले से क्लीनिक खोल रखे हैं। बिना किसी चिकित्सा प्रमाणपत्र के, महज दो से पांच साल तक किसी अस्पताल या क्लीनिक में काम करने के बाद ये लोग डॉक्टर बन बैठे हैं और खुलेआम लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसी कड़ी में, बमरौली क्षेत्र में जनसेवा के नाम पर कुछ लोगों ने पूरी अस्पताल खड़ी कर दी। अस्पताल खोलने के लिए किसी भी प्रकार की अनुमति या पंजीकरण के बिना उसका उद्घाटन भी कर दिया गया। जब तक यह अस्पताल

लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करता, स्थानीय अखबार *अखबार संदेश* ने इन झोलाछाप डॉक्टरों की पोल खोल दी। इस खबर के बाद पुलिस विभाग, फायर ब्रिगेड और

झोलाछाप डॉक्टरों या संचालकों को नोटिस जारी किया गया, जिसमें उन्हें 28 नवंबर, गुरुवार को आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने का आदेश दिया गया। राज्य सरकार द्वारा नया कानून

में रखा गया है। इसी दौरान, पांडेसरा की जनसेवा मल्टीस्पेशलिस्ट अस्पताल को लेकर पालिका के फायर विभाग द्वारा सीलिंग की कार्रवाई की गई थी, और पुलिस द्वारा भी मामले की जांच

अस्पताल को सील कर दिया। को पी. गुजरात क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, 2021 के तहत पंजीकरण पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने के निर्देश दिए गए हैं। इन्हें अपने आधार और अन्य प्रमाणों के साथ आगामी 28 नवंबर को उपस्थित होने का अल्टीमेटम दिया गया है।

यदि वे निर्धारित समय पर उपस्थित नहीं होते हैं या आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो इस एक्ट के तहत उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह स्थिति सूरत के सचिन क्षेत्र की है, जहां किसी भी तरह की कार्रवाई का अभाव देखने को मिल रहा है। स्थिति यह है कि कानून का उल्लंघन करने वाले लोग खुद प्रभावशाली हैं, जिसके चलते न तो कोई शिकायत दर्ज होती है और न ही किसी पर कार्रवाई की जाती है। इससे यह क्षेत्र कानून और प्रशासनिक निष्क्रियता का शिकार हो रहा है।

सूरत पुलिस कमिश्नर की कार्रवाई-एक ही दिन में 18 अपराधी इतिहास रखने वाले आरोपियों को P.A.S.A के तहत जेल भेजा

अज्ञात हमलावरों ने ऊपर से चप्पू के घाव मारकर एक युवक को मौत के घाट उतार दिया।

क्रांति समय
www.krantisamay.com
www.guj.krantisamay.com
www.epaper.krantisamay.com
www.rti.krantisamay.com

सूरत के कापोद्रा क्षेत्र में मुर्गा केंद्र के पास एक युवक की हत्या की घटना सामने आने से हड़कंप मच गया है। युवक की हत्या धारदार हथियार से की गई है। युवक का शव सार्वजनिक स्थान पर पड़ा हुआ था, जिससे लोगों का जमावड़ा लग गया था। शव खून से सना हुआ था। युवक को आसपास के इलाके के लोग पहचानते थे। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के उच्च अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है। हालांकि, हत्या के कारण के बारे में अभी तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है। कापोद्रा पुलिस ने टीम बनाकर जांच शुरू कर दी है। युवक पर किसी कारणवश चप्पू से हमला किया गया था। चर्चा है

कि यह हमला अज्ञात व्यक्तियों द्वारा किया गया था। चप्पू से युवक पर ऊपर से घाव किए गए, जिससे ऋषि गुलाबचंद पांडे उर्फ पंडित की मौत हो गई। हमलावर युवक पर हमला कर फरार हो गए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही कापोद्रा पुलिस घटना स्थल पर पहुंची, जहां उच्च पुलिस अधिकारी समेत पूरी टीम ने पहुंचकर मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी। अज्ञात हमलावरों की तलाश के लिए सीसीटीवी फुटेज चेक किए जा रहे हैं, साथ ही आसपास के लोगों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं। पुलिस का काफिला घटना स्थल पर पहुंच गया और मामले की जांच शुरू कर दी।

सस्ते अनाज की दुकान के खिलाफ कार्रवाई कब होगी ?

क्रांति समय
www.krantisamay.com
www.guj.krantisamay.com
www.epaper.krantisamay.com
www.rti.krantisamay.com

वराछ क्षेत्र के किरण चौक में 123 नंबर की सस्ते अनाज की दुकान पर अनाज कम देकर गरीब लोगों के साथ धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है।

सूरत के वराछ-ए क्षेत्र स्थित किरण चौक में सस्ते अनाज की दुकान में सरकार द्वारा गरीब व्यक्तियों को अनाज प्रदान किया जाता है, लेकिन उन्हें निर्धारित मात्रा में अनाज नहीं दिया जाता, ऐसी शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं।

राज्य सरकार द्वारा राज्य की दुकानों में पारदर्शिता के साथ अनाज वितरण सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन राशन माफिया अपनी मनमानी से अनाज की हेराफेरी करने में सफल हो जाते हैं। स्थानीय अधिकारियों की उदासीनता के कारण गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को उनका हक का अनाज नहीं मिलता। वार्ड नंबर 17 के कॉर्पोरेटर विपुलभाई सुहागिया राशन की दुकान पर गए थे, जहां एक गर्भवती महिला का फोन आया था कि उन्हें पूरा राशन नहीं दिया जा रहा है और उन्हें बार-बार धक्के दिए जाते हैं। तुरंत, साथी कॉर्पोरेटर रचन हीरपरा और कार्यकर्ताओं की टीम के



साथ उन्होंने दुकान नंबर 123 पर पहुंचकर जांच की। वहां पाया गया कि राशन माफिया सच में लोगों को कम अनाज देते हैं और उन्हें बार-बार धक्के देते हैं। शिकायतकर्ता गर्भवती महिला ने बताया कि वह आज राशन लेने के लिए तीसरी बार आई थी, और उसे सिर्फ आधा राशन दिया गया। दुकान में बिल नहीं दिए जाते, प्रिंटर नहीं रखा जाता, और अनाज के जखीरे की कोई जानकारी नहीं दी जाती। सरकार द्वारा खांड देने का आदेश है, लेकिन लोगों को गेहूं और चावल की बजाय दो किलो चीनी दी जाती है। इस जगह पर गैरकानूनी तरीके से चीनी के बोरे भी छिपाकर रखे गए थे। राशन माफिया गरीबों के हक का अनाज हड़प कर उन्हें लूटते हैं, और नियम के अनुसार जो अनाज देना चाहिए, वह नहीं दिया जाता। आम आदमी पार्टी के कॉर्पोरेटर विपुल सुहागिया ने कहा कि

पिछले 4 वर्षों में उन्होंने इस दुकान पर 4-5 बार छापेमारी की है, और बार-बार गडबडियां पाई जाती हैं, फिर भी इन राशन माफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। उन्होंने सवाल उठाया कि इन राशन माफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? कौन इन्हें शरण देता है? किसकी कृपा से ये राशन माफिया बिना किसी डर के लोगों के हक का अनाज हड़पकर अपने धंधे को चलाते हैं? क्या सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्री इन राशन माफियाओं के साथ मिलकर साझेदारी में धंधा करते हैं? क्यों इन राशन माफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? चुनाव के समय मोदी के फोटो वाले थैले देकर केवल मार्केटिंग की जाती है और वाहवाही लूटी जाती है, लेकिन लोगों का हक खा जाने वाले इन राशन माफियाओं के खिलाफ कभी कार्रवाई नहीं होती।

पांडेसरा में एक पिता ने अपने पुत्र द्वारा शराब पीने से मना करने पर आत्महत्या कर ली।

क्रांति समय
www.krantisamay.com
www.guj.krantisamay.com
www.epaper.krantisamay.com
www.rti.krantisamay.com

पांडेसरा के जय अंबेनगर में शुक्रवार दोपहर 34 वर्षीय शंभु मेवालाल निषाद ने अपने घर के दूसरे माले की गैलरी से कूदकर

आत्महत्या कर ली। उसे गंभीर चोटें आने पर नई सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। शंभु के परिचितों के अनुसार, वह शराब का अधिक सेवन करता था। घटना वाले दिन

भी वह शराब के नशे में घर आया था। इस पर उसके पुत्र ने उसे शराब पीने से मना किया, जिससे वह आहत हो गया और यह कदम उठाया। शंभु एक प्राइवेट नौकरी करता था, जबकि उसका पुत्र एक मिल में काम करता है।

सूरत पुलिस कमिश्नर की कार्रवाई एक ही दिन में 18 अपराधी इतिहास रखने वाले आरोपियों को P.A.S.A के तहत जेल भेजा

क्रांति समय
www.krantisamay.com
www.guj.krantisamay.com
www.epaper.krantisamay.com
www.rti.krantisamay.com

एक्ट) के तहत जेल भेजा गया। इस कार्रवाई का उद्देश्य शहर में अपराध और असामाजिक गतिविधियों पर रोक लगाना है। पुलिस ने इन आरोपियों की गतिविधियों का विस्तृत अध्ययन किया और यह सुनिश्चित किया कि उनके खिलाफ सबूत पुख्ता हों।

इसके बाद, कमिश्नर ने पासा के तहत कार्रवाई का आदेश दिया, जिसके तहत आरोपियों को सीधे जेल भेजा गया। इस तरह की कार्रवाई सूरत पुलिस द्वारा कानून और व्यवस्था बनाए रखने तथा अपराधियों को चेतावनी देने के लिए की जाती है।

सूत्रों के मुताबिक हिंदुत्व के नाम पर लोगों का शोषण कर फर्जीवाड़ा कर रहे जमीन के दलाल, बिल्डर, डेवेलोपर, अवैध रूप से चला रहे नाश का करोबार, हिंदुत्व के नाम पर कर रहे कानून के निति-नियम का उल्लंघन